(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 436–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–01–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर ब्यावरा, जिला–राजगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–6/2012–13

.....

1– जानीबाई पति केसर
2– मांग्या उर्फ मांगीलाल पिता केसर
सर्व निवासी–ग्राम भाटखेड़ा तहसील खिलचीपुरा
जिला–राजगढ़, म0प्र0 .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– धापूबाई पति गणपत
निवासी–झाड़मऊ तहसील जीरापुर
जिला–राजगढ़, म0प्र0
2– भंवरलाल पिता गंगाधर
3– मूलचन्द पिता गंगाधर
4– ललताबाई बेवा रामनारायण
5– देवेन्द्र पिता रामनारायण
6– बल्लीबाई पिता रामनारायण
सर्व निवासी– ग्राम भाटखेड़ा तहसील खिलचीपुरा
जिला–राजगढ़, म0प्र0 ..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 सिन्हा, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 25 अगस्त 2015 को पारित )

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर ब्यावरा, जिला–राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–01–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण अपर कलेक्टर राजगढ़ को निगरानी पेश की कि अधीनस्थ न्यायालय ने 35 वर्ष पूर्व शासकीय पट्टे की भूमि को कलेक्टर की अनुमति के बगैर विक्रय के आधार पर नामांतरण वर्ष 1983–84 को होना बताया है जबकि वर्ष 1983–84 की नामांतरण पंजी में नामांतरण ही नहीं हुआ है मात्र राजस्व अभिलेख खसरा पंचसाला में पटवारी से मिली भगत कर नामांतरण फर्जी रूप से दर्ज करवा लिया है। इस तरह के पट्टे की भूमि का विक्रय अपने आप विधि अनुसार शून्यवत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। कलेक्टर ने आदेश दिनांक 28–1–2014 को आदेश पारित करते हुये यह मानते हुये निगरानी अमान्य की कि कथित अंतरण के विरूद्ध लगभग 27–28 वर्ष पश्चात निगरानी पेश करना तथा उस आदेश को निरस्त की मांग करना उचित नहीं माना। इतने अत्यधिक विलंब के बाद प्रस्तुत आवेदन पर आवेदक को कोई सहायता नहीं दी जा सकती। इस भूमि के संबंध में कई अन्य प्रकरण राजस्व न्यायालय एवं सिविल में दायर किए जिनमें आवेदक को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। निगरानीकर्तागण न्यायालय दर न्यायालय वाद दायर करने के आदि है। इस प्रकार वे मामले को उलझाये रखने के लिए प्रयासरत है, जिसे न्यायोचित नहीं कह जा सकता। अतः निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की गई। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि शासकीय भूमि के पट्टे की भूमि को बिना कलेक्टर के पूर्वअनुमति के विक्रय की तथा पटवारी से मिलीभगत कर राजस्व अभिलेखों में अनावेदक ने नामांतरण करा लिया। किसी भी अवैधानिकता को किसी भी समय प्रकाश में लाकर उसकी जांच की जा सकती है। इसी बावत कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, परन्तु कलेक्टर द्वारा मामले की बिना जांच के आवेदकगण को बिना साक्ष्य का अवसर दिये मात्र अवधि के बिन्दु पर निरस्त करने में त्रुटि की है।

4/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कलेक्टर की आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण ने कलेक्टर के समक्ष निगरानी पेश कर लगभग 27–28 वर्ष हुये अंतरण के आधार पर हुये नामांतरण को चुनौती दी गई। आवेदकगण प्रश्नाधीन नामांतरण से किस प्रकार हितबद्ध पक्षकार होकर व्यथित थे, कलेक्टर के समक्ष यह सिद्ध नहीं कर सके। 27–28 वर्ष के लंबे विलम्ब पश्चात निगरानी प्रस्तुत करने का औचित्य नहीं होने के आधार पर कलेक्टर ने निगरानी आवेदन अमान्य किया, अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिक अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में निगरानी अग्राह्य कर प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर